संख्याः 565 /VII-I/2018–233(उद्योग)/2008,T.C

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त प्रबन्ध निदेशक,
सार्वजनिक उपक्रम/निगम,
उत्तराखण्ड।

औद्योगिक विकास अनुभाग– 2 देहरादून : दिनांक 24 अक्टूबर, 2019

विषयः– राज्य में स्थित सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/स्वायत्तशासी निकायों में कार्यरत कार्मिकों को वर्ष 2018–19 के लिये 30 दिन की परिलब्धियों के बराबर तदर्थ बोनस अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7, उत्तराखण्ड शासन के संलग्न शासनादेश संख्या–352/XXVII(7)-1(1)/2003, दिनॉक 21, अक्टूबर 2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य सरकार के कार्यप्रभारित कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं व स्थानीय निकायों के कर्मचारियों तथा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वर्ष 2018–19 के लिये 30 दिन के तदर्थ बोनस की स्वीकृति अनुमन्य करते हुए सार्वजनिक उद्यम विभाग, उत्तराखण्ड शासन से निकाय/उपक्रम की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उक्तानुसार दरों पर तदर्थ बोनस अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में यथाप्रक्रिया स्वंय निर्णय लिये जाने हेतु अधिकृत किया गया है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि औद्योगिक विकास अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–101/VII-I/2018–233(उद्योग)/2008, दिनांक 14.02.2018 द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश के अनुसार अपने अधीनस्थ स्वायत्तशासी संस्था/निकाय/सार्वजनिक उपक्रम की वित्तीय स्थिति का आंकलन करते हुए अपने कार्मिकों हेतु तदर्थ बोनस की स्वीकृति निर्गत/अनुमन्य किये जाने हेतु आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही सम्पन्न करने का कष्ट करें।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,
(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 565 (1)/VII-1/2019–233(उद्योग)/2008, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन को उनके उपरोक्त पत्र दिनांक 31.10.2018 के कम में।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. अधिशासी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना एवं विज्ञान केन्द्र (NIC), सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(राजेन्द्र सिंह पतियाल)
उप सचिव।